न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 95/2021 बउनवानी काशी सिंह राजपूत बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी
पुत्र श्री सुरजन सिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/288

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.11.2021	पत्रावली पेश हुयी। ...

24.11.2021

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 16.9.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. माननीय सूचना आयोग में लंबित अपील संख्या CIC/SMDHP/A/ 2021/103957 एवं CIC/SMDHP/A/2019/104305 एवं 109983 कुल तीनो में श्रीमान द्वारा प्रेषित अपीलोत्तर की सत्यप्रतिलिपि दिलाने की कृपा करे।
2. क्रमांक एस.आर.–1 दिनांक 2.3.2015 नायब तहसीलदार तलावडा द्वारा ख0न0 259 कृषि भूमि ग्राम मच्छीपुरा मे हेण्डपम्प लगा हुआ की रिपोर्ट दी उसपर तहसील स्तर पर की गयी कार्यवाही की सत्यप्रति जानकारी दिलावे।
3. काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 66 के अनुसार खातेदार विवादित कृषि भूमि में माननीय न्यायालय के स्टे के बाद पक्का निर्माण करता है उसपर तहसील स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही की सत्यप्रति दिलावे।
4. प्रार्थी की सूचना के अधिकार कानून,2005 के अनतर्गत की गयी प्रथम अपील संख्या 27/21 दिनांक 14.7.2021 मे बिन्दु संख्या 4,5,6 को सुनवायी में अस्पष्ट अपूर्ण एवं प्रश्नात्मक किस आधार पर बताये उस आधार की सत्यप्रति दी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ किन्तु जरिये अपनी आपत्ति न्यायालय मे प्रेषित कर अवगत कराया कि चाही गयी सूचना अभी तक तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः/सू.का.अ/2021/132 दिनांक 8.11.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 8.11.2021 के बिन्दु संख्या 1 दो प्रकरणों (103957, 104305) से संबंधित सूचना के लिए 36/–रू जमा करवाने बाबत लिखा गया तथा प्रकरण संख्या 109983 का संबंध तहसील कार्यालय से नही होने के संबंध में अपीलान्ट को लिखा जा चुका है। शेष बिन्दु संख्या 2 लगायत 4 पर चाही गयी सूचना से संबंधित दस्तावेज तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 16.9.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना के लिए 36/–रू जमा करवाने बाबत तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को लिखा जाना बताया गया है किन्तु [illegible] है स्पष्ट नही किया है ऐसी स्थिति में तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देशित कि[illegible] जाता है कि बिन्दु संख्या 1 की उक्त सूचना अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। शेष बिन्दु 2 लगायत 4 पर चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने, प्रश्नात्मक होने एवं चाही गयी सूचना से संबंधित दस्तावेज तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण सूचना दिया जाना आवश्यक नही है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:35:57 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर